वित्तीय स्वीकृति

संख्या-10/2015/43/52-3-15-बजट(22)/2014

प्रेषक,

मुहम्मद जुबैर अली हाशमी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 03 फरवरी, 2015

विषयः-केन्द्र पु□□□□□□□□ □□□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत □ □□□□ विषयों □□ शिक्षकों □□ राज्य □□□□□ □□ □□□ □□प्रति □□□ अतिरिक्त □□□□□ प्रदान किये □□□ □□□वित्तीय स्वीकृति □□□□□□ में।

□□□□□,

उपर्युक्त विषयक □□□□□□□ □□-2855/52-3-14-□□(8)/14, दिनांक 06 जनवरी, 2014 □□ अनुक्रम में □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□कि □□□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत इण्टरमीडिएट शैक्षिक अर्हता □□□□□□□□शिक्षकों, जिन्हें भारत □□□□□ द्वारा रू0 3000/- प्रति □□□, स्नातक, परास्नातक, स्नातक □□□□□ □□0□□0 शिक्षकों जिन्हें भारत □□□□□ द्वारा रू0 6000/- प्रति □□□ □□□ परास्नातक □□□□□ □□0□□0 शिक्षक जिन्हें भारत □□□□□ द्वारा रू0 12000/- प्रति □□□ की □□ □□□□□□□ प्रदान किया □□ □□□ □□□□ राज्य □□□□□ द्वारा □□□□□□□□ □□क्रमशः रू0 1000/- प्रति □□□, रू0 2000/- प्रति □□□ □□□ रू0 3000/- प्रति □□□ अतिरिक्त □□□□□□ □□□□□ □□ रूप में प्रदान □□□□□□□क्रमशः रू0 4000/- प्रति □□□, रू0 8000/- प्रति □□□ □□□ रू0 15000/- प्रति □□□ की □□□□□ □□□□□ □□रूप में दिनांक 01-05-2014 □□निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के □□□□ प्रदान किये □□□□□□ □ □□ निर्गत किये □□□□□-

(1) इण्टरमीडिएट अर्हता □□□□□□□□□□ □□□□ विषय □□शिक्षकों जिन्हें भारत □□□□□ द्वारा रू0 3,000/- प्रतिमाह □□□□□ प्रदान किया □□ □□□ □□, □□ □□□□□□□□की व्यवस्था □□□□ □□□□□ द्वारा समाप्त □□ दी □□□ □□□□□ भविष्य में यदि □□□ □□□□ □□□□□ द्वारा इण्टरमीडिएट अर्हता □□□□□□□□□शिक्षक □□ □□□ योजनान्तर्गत र□□□□□□□की व्यवस्था □□□□की □□□□ □□□□ □□□शिक्षक □□ राज्य □□□□□ द्वारा □□□□□□□□ □□रू0 1000/- प्रतिमाह अतिरिक्त □□□□□ प्रदान किया □□□□□

http://shiksamitra.up.nic.in

(2) राज्य □□□□ द्वारा □□□□□ □□ रूप में दिये □□□□□□□□अतिरिक्त □□□□ □□ □□□□ □□□□ उन्हीं मदरसों में कार्यरत □ □□□ विषयों के शिक्षकों को किया □□□□ □□ कि □□□□ □□□□ की "□□□□□ आधुनिकीकरण यो□□□" □□आच्छादित □□

(3) □ □□□□ विषयों के शिक्षकों को दिये □□□□□□□अतिरिक्त □□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□ ही किया □□□□□ □□ □□ केन्द्रपोषित □□□□□ आधुनिकीकरण यो□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ द्वारा शिक्षक □□□□□□□ □□केन्द्रांश के□रूप में प्रदत्त की □□□□ □□□□ □□□□□□ प्राप्त □□□□ □□□□

(4) □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत वर्तमान में आच्छादित मदरसों □□□ भविष्य में आच्छादित □□□□□□□□मदरसों □□ □□□□ रूप □□ प्रभावी □□□□

(5) □□□□ □□आच्छादित मदरसों में कार्यरत शिक्षकों को राज्य □□□□ द्वारा दिये □□□□□□□ अतिरिक्त □□□□□ प्रतिमाह □□□□□ रूप □□दिया □□□□□

2- □□□□वित्तीय वर्ष 2014-15 में योजनान्तर्गत राज्य □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□रू0 40,27,92,000/- (□□□□ □□ सत्ताइस □□□ □□□□□□ मात्र) □□ □□-व्ययक प्रावधान है□ उक्त प्राविधानित धन□□□ □□ सापेक्ष □□ दृष्टिगत र□□□□□□कि वर्तमान में योजनान्तर्गत स्नातक/परास्नातक अर्हता □□□□□□□□ 13795 शिक्षक □□□ परास्नातक □□ □□□ □□0□□0 अर्हता □□□□□□□□ 1552 शिक्षक कार्यरत है□ जिन्हें भारत □□□□ द्वारा क्रमशः रू0 6000/- □ 12000/- प्रति □□□ □□□□□ प्रदान किया □□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ आधुनिकीकरण शिक्षकों को राज्य □□□□ द्वारा प्रदान किये □□□□□□□ अतिरिक्त अ□□□□ दिनांक 01-05-2014 □□दिया □□□ अपेक्षित □□□□ शिक्षेको □□ दिनांक 01-05-2014 □□31-03-2015 □□ (11 □□) □□ □□□□□ □□□ रू0 38,22,96,000/- (रू0 □□□□□ □□□ □□□ □□ छियानवें ह□□ मात्र) स्वीकृत □□ □□□□□ अल्पसंख्यक कल्याण □0प्र0 □□निवर्तन पर निम्नंकित शर्तो/प्रतिबन्धों के□□□□ □□□□□□की □□□□□, श्री राज्यपाल □□□□□ द्वारा सहर्ष प्रदान की □□□ □□-

(1) राज्य □□□□ द्वारा □□□□□ □□ रूप में दिये □□□□□□□□अतिरिक्त अ□□□□ □□ □□□□ □□□□ उन्हीं मदरसों में कार्यरत □ □□□ विषयों □□ शिक्षकों □□ किया □□□□ □□ कि □□□□ □□□□□ की □□□□□ आधुनिकीकरण यो□□□ □□आच्छादित है□□□□ पूर्व में □□□□ □□□□□ द्वारा □□□□□में कार्यरत □ □□□ विषयों □□□□□□□ □□ □□□□□ किया □□□ □□

(2) □□□□□ □□आच्छादित मदरसों □□ □ □□□ विषयों □□ शिक्षकों □□ राज्य □□□□ द्वारा प्रदान किये □□□□□□□ अतिरिक्त म□□□□ दिनांक 01-05-2014 □□अर्थात □□ □□ □□ □□ 2014 □□□□ □□□□

(3) □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ आवश्यकता □□ □□□□ किया □□□□ □□□ □□□□□ □□ आहरित □□ बैंक/□□ □□ में □□□ नहीं किया □□□□□

(4) किसी □□ □□□ में उक्त □□□□□ □□किसी अन्य □□ में पुनर्विनियोग नहीं किया □□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) □□□□□ □□रूप में राज्य □□□□□ द्वारा दे□ अतिरिक्त □□□□□□ □□□□□ शिक्षक □□व्यक्तिगत बैंक ख□□□में अन्तरित की □□□□□

(6) उक्त स्वीकृत □□□□□□ □□सापेक्ष व्यय □□□□□□ □□ विवरण/□□□□□□□□ प्रमाण-पत्र □□□□ □□ 31 मार्च, 2015 □□ उपलब्ध □□□□□ □□□□□

(7) □□□□□□ □□ □□□□ (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार □□व्यय □□□□□□ □□□□□ नहीं □□□ □□ जिन मामलों में उत्तर प्रदेश □□□ □□□□ □□ वित्तीय नि□□ संग्रहों त□□ स्थायी आदेशों □□ अन्तर्गत राज्य □□□□/केन्द्र स□□□□ □□□□ अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की □□□ आवश्यक □□, □□ मामलों में व्यय □□□□□□ पूर्व □□□ स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर □□ □□□□

3- उक्त □□ □□□□□□□□ व्यय □□□□□ संख्या-48 □□ लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा -800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयो□□□□□/केन्द्र द्वारा प्□□□□□□□□ योजनायें-02-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मद□□□ □□ आधुनिकीकरण -20-□□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□□□□□) में व्यवस्थित □□□□□□ □□□□□ किया □□□□□

4- □□ □□□ वित्त विभाग □□अशासकीय संख्या- □-11- /□□-2015, दिनांक जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी □□□□□ □□प्रदत्त निर्देशों के अ□□□ निर्गत किये □□ □□□हैं।

भवदीय,

(मुहम्मद □□□ □□□ □□□□)
विशेष □□□□

<u>संख्या- 43(1)/52-3-15 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्□□आवश्यक कार्यवाही □□□प्रेषित:-

1 □□□□□□□□ (□□□ परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 □□□□□□□□

2 □□□□□□□□ (□□□ □□□हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 □□□□□□□□

3 मुख्य कोषाधिकारी के□□□□□ □□□□□

4 कोषाधिकारी ज□□□□ □□□ □□□□/वित्त प्□□लेखाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□ □0प्र0 □□□□□

5 रजिस्ट्रार उ0प्र0 □□□□□ शिक्षा परिषद 704 □□□□□ □□□ □□□□□

6 कम्प्यूटर □ □□□□ अल्पसंख्यक कल्याण □□□0-3 □□ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□

7 गार्ड प□□□□

आज्ञा □□

http://shasanadesh.up.nic.in

(□ □o□□0द्विवेदी)

□□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in